

आयालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर).

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट  
मनोज कुमार व अन्य प्रार्थीगण बनाम ज्योति व अन्य अप्रार्थीगण

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------	----------------------------------	---

21 आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.08.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण/प्रतीवादी वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 1934/0.1500 हे0, 1936/0.2200 हे0, 1943/0.3800 हे0, 1946/0.5800 हे0, 1948/0.2900 हे0, 1949/0.2700 हे0, 1950/0.3200 हे0, 1952/0.2800 हे0, 2241/0.3300 हे0, 2244/0.1300 हे0, 2245/0.3000 हे0, 2246/0.1600 हे0, 2247/0.1900 हे0, 2278/0.5800 हे0 कुल कित्ता 14 रकबा 4.1800 हे0 वाके ग्राम इस्माईलपुर तहसील किशनगढबास को जिला अलवर राजस्थान में आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

तथा क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 17.08.2021 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास(अलवर)

17.8.21...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहू  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयुक्त दिनांक 21.9.21  
को पेश हो।

  
सिस्ट

११-११ कौशल जर्जी उप० । मूलवाद के साथ दिनांक  
११-११ को पेश है।

13-12-21 अज्ञात पत्रावली प्रशासन गंधी के सजा विमिमत में  
प० मुख्यालय पर पेश निर्णय नहीं है सजा दिनांक  
१२-१२ को पेश है।

१२-१२ पत्रावली में पेश जर्जी एमि ओ. साहब के पत्रावली  
अन्य कार्य में समाप्त हो चुके हैं।  
उभयपक्ष के अतिरिक्त जायज दिनांक १५-१२  
को पेश है।

श्री  
रीडर

१५-५-२२ वडील जर्जी उप० । मूलवाद के साथ दिनांक  
१५-५-२२ को पेश है।

मोक्ष / ज्योति

मालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

वकील वरि उपा० अंतपार तामील दिनांक 14-6-22

को पेश है

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़बास (अलवर)

वकील प्रार्थी उपा० अंतपार अन्वयार्थ नैव्यक्त है।

दिनांक 20-6-22 को पेश हो सके।

20-6-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्वय कार्य में व्यस्त हैं/व्यस्त कर रहे हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आवन्दा दिनांक 21-6-22  
को पेश हो।

21-6-22 पत्रावली पेश हुई। वकील वरि। वरि ने वाद को विड्डा  
करी है। प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रार्थना पर  
21-6-22 को भी विड्डा करी है। प्रार्थना पत्र  
किया। प्रार्थना को प्रार्थना पर सुना गया प्रार्थना  
पर स्वीकार किया। मात्र पूर्व में जवाब स्वयं  
आदेश दिनांक 22-7-21 को प्रपस्त किया जाता है।  
अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 A-TA-6 खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फिलहाल सुमर होकर सलग  
मूलबंद रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़बास (अलवर)

मोक्ष / ज्योति

मोक्ष / ज्योति

मोक्ष / ज्योति